



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 604 राँची, गुरुवार, 20 आश्विन, 1945 (श०)
12 अक्टूबर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

21 सितम्बर, 2023

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 16(5) के आलोक में मुख्य सूचना आयुक्त झारखण्ड, राँची के वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें एवं बंधेज निर्धारण के सम्बन्ध में निर्गत अधिसूचना संख्या 6975 दिनांक 08.07.2014 यथा संशोधित संकल्प संख्या 9865 दिनांक 10.11.2015, संकल्प संख्या 4277 दिनांक 30.05.2019, संकल्प संख्या 5325 दिनांक 22.08.2022 एवं संकल्प संख्या 1162 दिनांक 28.02.2023 में आवश्यक संशोधन के सम्बन्ध में ।

संख्या-11/सू०अ०अधि०-05/2009(खण्ड-1)का०5320--सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 16(5) के आलोक में मुख्य सूचना आयुक्त झारखण्ड, राँची के वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें एवं बंधेज निर्धारण के सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 6975 दिनांक 08.07.2014 यथा संशोधित संकल्प संख्या 9865 दिनांक 10.11.2015, संकल्प संख्या 4277 दिनांक 30.05.2019, संकल्प संख्या 5325 दिनांक 22.08.2022 एवं संकल्प संख्या 1162 दिनांक 28.02.2023 निर्गत है ।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 16(5)(a) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन तथा भत्ते एवं सेवाशर्तें चुनाव आयुक्त के समान होगी।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है।

3. विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) की अधिसूचना संख्या 831 दिनांक 04.08.2021 के द्वारा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम 1959 के नियम 3(ख) में निम्नवत् संशोधन किया गया है:-

“1500 निःशुल्क कॉल प्रतिमाह (टेलीफोन प्राधिकारियों द्वारा प्रतिमाह दी जाने वाली निःशुल्क कालों के अलावा)” शब्दों के स्थान पर, “4200/- रूपए प्रतिमाह+यथालागू कर से अनधिक आवासीय टेलीफोन कॉल प्रभारों या मोबाइल फोन या ब्राडबैंड या मोबाइल डाटा या डाटा कार्ड की प्रतिपूर्ति” शब्द रखे जाएंगे ;

4. उपर्युक्त के आलोक में भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय, नई दिल्ली के कार्यालय आदेश संख्या 193/1/2022(I) दिनांक 13.05.2022 के द्वारा निम्न प्रावधान किया गया है:-

“In para 4(b) Post Retirement Benefit in Office Memorandum No.193/1/2017(I) dated 20.02.2017, the word ‘Rs. 2500/- per month’ is hereby substituted by ‘Rs. 4200 per month’ with scope and provision as mentioned above.”

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के अधिसूचना संख्या 358 दिनांक 24.11.2016 के द्वारा पूर्व मुख्य न्यायाधीशों एवं अन्य न्यायाधीशों को Domestic Help की सुविधा स्वीकृत की गयी है।

6. उपर्युक्त के आलोक में केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के कार्यालय आदेश संख्या 5/2/2013/CIC/Admn दिनांक 09.04.2018 की कंडिका 2 में निम्न प्रावधान किया गया है:-

“2- In line with the Office Memorandum no.193/1/2017(I) dated 05.07.2017 of Election Commission of India, following shall be the procedure for engagement of Domestic Help for retired Chief Information Commissioners/Information Commissioners :-

I. The retired Chief Information Commissioners/Information Commissioners shall be entitled to avail the services of Domestic Help, if no facility of a Domestic Help is attached to the officer or post to which the retired Chief Information Commissioners/Information Commissioners is appointed after retirement.

II. Retired Chief Information Commissioners/Information Commissioners would at his/her discretion be entitled to select a person to be engaged as Domestic Help on contractual basis, and who will be available until the retired Chief Information Commissioners/Information Commissioners are entitled to the benefit of this facility, subject to the certification by the retired Chief Information Commissioners/Information Commissioners about the satisfactory performance of the Domestic Help."

7- उक्त के क्रम में केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के संकल्प संख्या 5/2/2013/ CIC/Admn दिनांक 09.04.2018 के द्वारा निम्न प्रावधान किया गया है:-

"2. The wages to be reimbursed by the Central Information Commission to the former CICs/ICs for the engagement of a Domestic Help shall be equivalent to the salary payable to a Multi-Tasking Staff or equivalent at the minimum of the scale of pay inclusive of dearness allowance and yearly increment as applicable. The present rate of wages would be Rs. 18000/- plus DA as applicable."

8. उपर्युक्त वर्णित स्थिति में कार्मिक विभागीय संकल्प संख्या 6975 दिनांक 08.07.2014, संकल्प संख्या 9865 दिनांक 10.11.2015 एवं संकल्प संख्या 4277 दिनांक 30.05.2019 के द्वारा निर्धारित मुख्य सूचना आयुक्त झारखण्ड राज्य सूचना आयोग के लिए वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा शर्त एवं बंधज में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:

- I. Under the Post Retirement Benefits heading for the words "the number of free calls to the extent of 1500 per month (over and above the number of free calls per month allowed by the telephone authorities)" the words "reimbursement of telephone call charges of residential telephone or mobile phone or broadband or mobile data or data card not exceeding to Rs. 4200/- per month + taxes as applicable" shall be substituted.
- II. The retired Chief Information Commiossioners shall be entitled to avail the services of Domestic Help, if no facility of a Domestic Help is attached to the officer or post to which the retired Chief Information Commissioners is appointed after retirement.

The wages to be reimbursed by the State Information Commission to the former CICs for the engagement of a Domestic Help shall be equivalent to the salary payable to a Multi-Tasking Staff or equivalent at the minimum of the scale of pay inclusive of dearness allowance and yearly increment as applicable. The present rate of wages would be Rs.18000/- plus DA as applicable."

The terms and conditions for availing the services of Domestic help shall be as per the conditions framed by Central information commission, New Delhi vide its Office Memorandum No. 5/2/2013/CIC/Admn Dated 09.04.2018.

9. उपर्युक्त संशोधन पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के संलेख ज्ञापांक 4613 दिनांक 11.08.2023 में सन्निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 06.09.2023 में मद संख्या 17 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव ।
